भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91AC 053540

[illegible] कार्यालय निबन्धक [illegible]
सत्यमेव जयते
फैजाबाद उ०प्र०

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

जय शंकर स्टाम्प सेवा
स्थान 2636
अम्बेडकर नगर
[illegible]
10/02/06

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : जय शंकर कृपा सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम व पो.कन्नूपुर जिला अम्बेडकरनगर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था को सदस्यता तथा सदस्य बनाने की प्रकिया:

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में रू.501 नकद या इतने की मूल्य की सम्पत्ति (चल या अचल) प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 21/-वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

नोट : सदस्यता प्राप्त करने के पूर्व रू0 प्रवेश शुल्क देना अनिवार्य होगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :
   1. मृत्यु हो जाने पर ।
   2. पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर ।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
   4. न्यायालय द्वारा दण्डित करने पर।
   5. अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।
   6. नियमित रूप सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
   7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

6. संस्था के अंग : संस्था के दो मुख्य अंग होगें।
   1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति ।

7. साधारण सभा :

गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार होगी तथा विशेष कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद (उ० प्र०)
20/10/16

अध्यक्ष
जयशंकर कृपा सेवा केन्द्र

उदय प्रताप सिंह कुसुम रंजन कल्पना

साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :

1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।

2 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

3 संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

4 संस्था के नियमों विनिमयों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष/प्रबन्धक एक,उपाध्यक्ष एक,मंत्री एक, कोषाध्यक्ष एक तथा शेष 7 सदस्य होगें इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी।

बैठके : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिये 2/3 सदस्यों की उपस्थित आवश्यक होगी परन्तु गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक के लिये गणपूर्ति का कोई भी प्रतिबंध न होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जायगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1 संस्था को उन्नति के लिये आवश्यक कार्य करना।

2 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।

4 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र राज्य सरकार वित्तीय एजेन्सियों हरिजन समाज कल्याण शिक्षा विभाग उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खादी ग्रामोद्योग आयेग राष्ट्रीयकृत बैकों एंव कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करना तथा उनक कार्यक्रमों को संचालित करना।

5 संस्था के उद्देश्यों की पर्ति के लिये दान चंदा उपहार भूमि चल अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त करना तथा उनक रख रखाव का प्रबन्ध करना।,

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल बढाया या घटाया जा सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
20/10/16

अध्यक्ष
जयशंकर कृपा सेवा केन्द्र
उदय प्रताप सिंह कुसुम रञ्जन कल्पना

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष / प्रबन्धक :
1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकोंके लिए दिनांक का अनुमोदन परिवर्तन स्थगित करना।
3. सामान्य मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
5. सरकार द्वारा अनुदान या सहायता प्राप्त करना।
6. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
7. कर्मचारी की नियुक्ति निष्कासन पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि करना।
8. समस्त बिल वाउचरों अनुबंधों एंव विलेखों पर हस्ताक्षर करना।
9. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णय को क्रियान्वित करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
11. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 500 रूपया तक व्यय करना।
12. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
13. संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों की व्यवस्था करना।
14. संस्था के सभी अभिलेखों एंव पत्र को सुरक्षित रखना।
15. संस्था के विकास में कार्य करना।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग करना।

मंत्री
1. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
3. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना और सुनाना।
4. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
5. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 50 रूपये तक व्यय करना।

कोषाध्यक्ष
1. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. दान व चंदा प्राप्त कर रसीद देना।

10 संस्था के नियमों एवं विनियंमों में संषोधन प्रकिया :
साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा संस्था के नियमों में संशोधन परिवर्तन किया जायेगा।

11 संस्था का कोष :
संस्था के समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धक तथा मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद (उ०प्र०)

अध्यक्ष
जयशंकर कृपा सेवा केन्द्र

उदय प्रताप सिंह कुसुम रंजना कल्पना

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट : संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्ति आडिटरद्वारा कराया जायेगा।

13 संस्था के द्वारा अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व : संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था द्वारा होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी अध्यक्ष/प्रबन्धक के द्वारा की जायेगी या उसके अधिकृत किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जायेगी।

14 दायित्व : संस्था के प्रदत्त सभी ऋण की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों को सामूहिक एंव पृथक-2 रूप से होगा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्वों के लिये सदस्य अपनी सम्पत्ति जमानत में देगें।

16 संस्था के अभिलेख :

1 सदस्यता रजिस्टर
2 कार्यवाही रजिस्टर
3 स्टाक रजिस्टर
4 कैश बुक आदि

17 संस्था के विघटन एवं विघटित सपंत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजिस्ट्रेषन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)

अध्यक्ष
जयशंकर कृपा सेवा केन्द्र

उदय प्रताप सिंह कुसुम रज्जन कल्पना